अनुसूची घ —फारम स०— ह्र

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, घ॰ घ का नियम घह्र॰)

आदेश पत्रक — ता०..से..तक

जिला.., स०.., सन् घ॰.......................

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख घ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर ह्र	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा **आंगनवाड़ी —सह—सेवा अपील वाद संख्याः 465/2012** मुकेश कुमार झा — — अपीलार्थी बनाम राज्य एवं अन्य — — रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण —:आदेश:— प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा दिनांक 26.05.12 को पत्रांक 621,एवं पंचायतीराज पदाधिकारी सहरसा के पत्रांक1012 दिनांक 05.09.12 एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,सहरसा के दिनांक 04.05.09 पर श्री मुकेश कुमार झा, पिता श्री चन्द्रकान्त झा ग्राम एवं पंचायत पटुआहा जिला सहरसा द्वारा दायर किया गया है । जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के पत्रांक 492 दिनांक 26.12.2008 तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक 1012 दिनांक 05.05.12 के आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबध में है । अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि यह वाद जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में आयुक्त के न्यायालय में अपील किया गया था ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के मुखिया पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है । अपीलीय न्यायालय द्वारा यदि ऑगनबाड़ी के सेविका/सहायिका के चयन सही पाया जाता है तो वो स्वतः समाप्त हो जाता । स्पष्टतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में माननीय लोकायुक्त ने पाया कि ग्रम पंचायत मुखिया द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका /सहायिका पद पर चयन में गंभीर अनियमितता बरती गयी है । ऐसी परिस्थिति में ऑगनबाड़ी चयन में वे समरूप जबाबदेह है,और इसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा सेविका चयन को रद्द कर दिया गया है । इस मामले की समीक्षा सरकार के स्तर से किया गया एवं सहायक निदेशक पंचायती राज पदाधिकारी,पटना द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका के चयन में पद के दुरूपयोग के प्रमाणित आरोप का आदेश प्राप्त हुआ है ,ऐसी परिस्थिति में यदि अपीलार्थी को इस अपराधिक कृत के विरूद्व कोई साक्ष्य रखना हो तो अनुसंधान पदाधिकारी या सक्षम न्यायालय के समक्ष दोषमुक्त हेतु अपना साक्ष्य रख सकते है। उन्हें ऑगनबाड़ी चयन मुक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील को कोई मामला नहीं बनता है। अतः किमिनल वाद का निष्पादन	

विभागीय ऑगनबाड़ी सेविका के चयन संबधी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अन्तर्गत किया जाना विधि सम्मत नही है। आवेदक के अपील आवेदन को खारिज करते हुए इस वाद को समाप्त किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित।

21/12/2023

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21/12/2023

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा